


<p>भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय कर्मयोगी भवन, सेक्टर-10A, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2 , सी विंग, गांधीनगर ई -मेल: gandhinagar.ibm@gmail.com</p>		<p>GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF MINES INDIAN BUREAU OF MINES Office of Regional Controller of Mines Karmayogi Bhavan, 4<sup>th</sup> Floor, Block-2, Sector-10A, Gandhinagar-382010, Gujarat</p>
--	--	---

सं- गुज/जाम/बौक्स-129

**पंजीकृत पत्र**

**कारण बताओ नोटिस**

दिनांक : 28.06.2018

सेवा में : M/s. Harisiddhi Interprises,  
301. Nakshatra-1,  
Opp-1B, House, 150 Feet Ring Road,  
Rajkot-360005, Gujarat

विषय: गुजरात राज्य के देवभूमि जिला में स्थित आपकी मेवासा बाक्साइट खान, सर्वे नंबर-141, क्षेत्रफल-3.20 हेक्टर में खनिज संरक्षण व विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन **(Mine Code-07GUJ07142)**.

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 04/11/2017 को आपकी उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमवाली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया और उनके निराकरण के लिए आपको 45 दिन का समय देते हुए इस कार्यालय के संसंख्यक रजिस्टर्ड ए .डी .पत्र दिनांक 08.02.2018 द्वारा आपको सूचित किया गया था।

नियम स.	पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
Rule 11(1)	<p>The mining operations are being carried out in violation of the following provision of the approved Scheme of Mining (Approved vide letter No. 682(23) (MS-651)/2008 MCCM (N) UDP, dated 29.04.2015 for the period 2015-16 to 2016-17.</p> <p>i) In Para 8.3, during the year 2016-17, total 988 Sq.M mined out area was proposed to be backfilled with available overburden material. But, it is not attended against the given proposals.</p> <p>ii) As per the Chapter-8, Para-8.3, total 20 Nos of saplings proposed to be planted over backfilled area &amp; statutory barrier during the year 2016-17 but no such plantation have carried out at designated locations against the proposals.</p>
Rule 26(2)	<p>A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before the 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative work carried out as envisaged in the approved mine closure plan has not been submitted for the year 2016-17.</p>
Rule 45(5)(b)(c)	<p>The holder of a mining lease shall submit online returns in respect of each mine to the Regional Controller of Mine or any other authorized officer of the Indian Bureau of Mines in the following manner-</p> <p>(a) A monthly Return which shall be submitted before the 10<sup>th</sup> of every month in respect of the preceding month in electronic form along with a signed print copy of the same if it is not digitally signed, in the prescribed form</p> <p>(b) An annual Return which shall be submitted before 1<sup>st</sup> day of July each year for the</p>

	<p>preceding financial year in electronic form, along with signed print copy of the same if it is digitally signed, in the respective Form</p> <p>But, it is observed that, you have not submitted Monthly Returns from April-2012 onwards and Annual Returns from 2012-13 onwards to this Regional office. Therefore, you are directed to submit aforesaid returns in online system immediately through <a href="http://www.ibm.gov.in/index.php/auth/login">www.ibm.gov.in/index.php/auth/login</a>.</p>
--	--

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उल्लंघन पत्र जारी होने की तिथि से 45 दिन समाप्त होने के बाद भी आपने उल्लंघन पत्र का कोई जवाब नहीं दिया है और इन नियमों का उल्लंघन यथावत जारी है |

03. यह आपके पुनः ध्यान में लाया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है तथा इन नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 2017 के नियम 11(2) एवं नियम 45(7)(a)(i) के अंतर्गत खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं / आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है और/या राज्य सरकार से खदान की सारी संक्रियाएं बंद करने और/या आपके विरुद्ध अभियोग दायर करने की सिफारिश की जा सकती है |

04. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि में कारण बताने के लिए निर्देशित किया जाता है|

04. कृपया नोट करे की इस संदर्भ में आपको और कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा|

भवदीय,

(संजय गिरहे)

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

**प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-**

1. खान नियंत्रक (उ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर |
2. आयुक्त, भूविज्ञान व खनन विभाग, ब्लॉक-1, 7वा माला, उद्योग भवन, गांधीनगर (गुज.),
3. रक्षित पत्रावली/क्रा.प्रति |

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो